174

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2300–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–07–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–137/निग0/2015–16

.....

रामबहादुर सिंह तनय स्व0 श्री तलमन सिंह
निवासी–ग्राम चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना, म0प्र0

------आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व0 श्री तेजभान सिंह
2– श्री राजीवनलोचन सिंह तनय स्व0 श्री तेजभान सिंह
3– श्री संजीवलोचन सिंह तनय स्व0 श्री तेजभान सिंह
4– श्री पृथ्वीराज सिंह तनय स्व0 श्री तेजभान सिंह
5– श्रीमती सुमन सिंह पुत्री स्व0 श्री तेजभान सिंह
6– श्रीमती सुलेखा सिंह पुत्री स्व0 श्री तेजभान सिंह
7– श्रीमती सुनीता सिंह पुत्री स्व0 श्री तेजभान सिंह
8– श्रीमती चन्द्रवती सिंह पत्नी स्व0 श्री सुदर्शन सिंह
9– श्रीमती मालती उर्फ पुष्पा सिंह पुत्री स्व0 श्री सुदर्शन सिंह
10– श्रीमती भारती सिंह पुत्री स्व0 श्री सुदर्शन सिंह
11– श्रीमती प्रीती सिंह पत्नी श्री पृथ्वीराज सिंह
12– श्री शौरभ सिंह तनय श्री संजीवलोचन सिंह
13– श्री परीक्षित सिंह तनय राजीवनलोचन सिंह
14– श्री सुतीक्षित सिंह तनय श्री राजीवलोचन सिंह
15– श्रीमती अर्पणा देवी सिंह पत्नी स्व0 श्री लाखन सिंह
समस्त निवासी–ग्राम चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना, म0प्र0

16– अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर बाघेलना
जिला–सतना, म0प्र0

17– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला–सतना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0राज अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30-9-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 01–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 1 लगायत 15 द्वारा आवेदक एवं अन्य 12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलना, जिला–सतना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.03.15 के विरूद्ध कलेक्टर सतना के समक्ष प्रकरण दिनांक 06.05.2015 को प्रस्तुत की गई, जो कलेक्टर के न्यायालय में दिनांक 07.05.2015 को सुनवाई में लिया गया। इसी दौरान आवेदक की ओर से कैबियट याचिका भी प्रस्तुत की गई। दिनांक 07.05.15 को प्रकरण पंजीबद्ध करने एवं प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11.05.2015 को नियत किया गया, किन्तु प्रारंभिक तर्क नहीं गये और प्रकरण दिनांक 13.05.15 को प्रारंभिक तर्क हेतु पंनः नियत किया गया तथा दिनांक 13.05.15 को प्रकरण में सुनवाई की गई । किन्तु आदेश पारित नहीं किया । प्रकरण में बिना किसी कार्यवाही के लगभग एक वर्ष तक विचाराधीन रहा, उसके बाद पुनः प्रकरण में दिनांक 04.05.2016 को प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रकरण दिनांक 18.05.2016 को प्रारंभिक आदेश हेतु नियत किया गया । दिनांक 18.05.16 को प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य होने का आदेश एवं मूल प्रकरण आहूत करने तथा आवेदक एवं अन्य को आहूत करने का आदेश पारित किया गया तथा प्रकरण दिनांक 30.05.16

को नियत किया गया, किन्तु अधिवक्ताओं द्वारा परिवाद दिवस मनाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी तथा पेशी दिनांक 01.06.16 नियत की गई। अनावेदक क्र0 2, 5, 9, एवं 11 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा शेष को अनावेदकगण को जरिये चश्पानगी नोटिस की तामीली का आदेश पारित किया गया तथा अगली पेशी दिनांक 06.06.2016 को नियत की गई । शेष अनावेदकगण को तलवी हेतु स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने का आदेश पारित किया गया । इसी से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2014—15 के अभिलेख बुलाये बिना एवं अभिलेखों का अवलोकन किये बिना दिनांक 01.07.2016 को ग्राह्यता की बिन्दु पर खारिज कर दिया, इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अभिभाषक ने रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने संबंधी तर्क किये।

4/ अनावेदक क्र0 1 लगायत 15 की ओर से अभिभाषक ने लिखित रूप से तर्क दिया कि वर्तमान निगरानी रामबहादुर सिंह द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2016 प्रकरण क्रमांक 137/निगरानी/2015—16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा निगरानी निरस्त की गई थी। रामबहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा गुण—दोषों के आधार पर निराकरण किया गया है एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.07.2016 में निम्न प्रकरण वर्णन किया गया है— " कलेक्टर के द्वारा अनावेदकगण के अनुपस्थित रहने पर समाचारपत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशन कराये जाने का आदेश पारित किया गया है । आवेदक का कहना है कि राजस्व न्यायालय को समाचारपत्र के माण्यम से तामीली कराये जाने का नियम नहीं है । फिर भी कलेक्टर ने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कराकर अनावेदकगण को तलब करने हेतु निर्देश जारी किया है ।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि न्यायालय में अनावेदकगण के उपस्थित न होने एवं सही पता न दिये जाने के कारण समाचार पत्र में प्रकाशन का आदेश पारित किया है । आवेदक चाहे तो इस न्यायालय में उठाये गये बिन्दुओं को कलेक्टर के न्यायालय

में अपनी बात रख सकता है"। उपरोक्तानुसार अपर आयुक्त रीवा के आदेश द्वारा दोनों ही पक्षों को अपनी बात कहने हेतु मौका दिया गया है फिर भी रामबहादुर सिंह द्वारा प्रकरण में देरी करने की नीयत से निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । आवेदक द्वारा कोई भी ऐसा आधार इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया है जिससे की निगरानी सुनवाई में लिया जा सके । अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये । इसके अलावा आवेदक के अभिभाषक ने लिखित बहस को स्वीकृत करते हुये दिनांक 27.09.2016 को लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया था, किन्तु दिनांक 27.09.2016 को लिखित बहस पेश न करते हुये, दिनांक 29.09.2016 को लिखित बहस पेश करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिये जाने का आवेदन—पत्र पेश किया, जिसे विचारोपरांत खारिज किया, तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर सतना के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.06.2016 में कलेक्टर के द्वारा अनावेदकगण के अनुपस्थित रहने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशन कराये जाने का आदेश पारित किया है । आवेदक का कहना है कि राजस्व न्यायालय को समाचार पत्र के माध्यम से तामीली कराये जाने का नियम नहीं है । फिर भी कलेक्टर सतना ने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कराकर अनावेदकगण को तलब करने हेतु निर्देश जारी किया है । कलेक्टर सतना का कहना है कि "अनावेदकगण के अधिवक्ता से अपील मेंमो में उल्लिखित शेष अनुपस्थित अनावेदकगण के तामीली हेतु उनके सही पते की जानकारी चाहे जाने पर उन्होंने सही पते की जानकारी नहीं दी। विचारोपरांत प्रकरण में अनुपस्थित अनावेदकगण को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचना का प्रकाशन कराया जाये । प्रकाशन का खर्च अपीलार्थी भुगतान करेगा "। अपर आयुक्त ने कलेक्टर सतना के आदेश को यथावत रखा है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.16 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,